न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शिव
(पीठासीन अधिकारी श्री महावीरसिंह जोधा, RAS)

राजस्व आवेदन संख्या 90/2022 अन्तर्गत धारा 131, 136 RLR Act.

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
आम जनता मेहरों की ढाणी जरिये 1. रामतेखान पुत्र कम्भीरखान 2. फतनखान पुत्र कादरखान 3. जमालखान पुत्र हुसैनखान 4. सुभानखान पुत्र हसणखान 5. पठाणखान पुत्र शरीफखान 6. उसमानखान पुत्र कादरखान 7. साकरखान पुत्र कम्भीरखान 8. इलियासखान पुत्र गुलाखान 9. सुमारखान पुत्र कादरखान 10. आरबखान पुत्र गुलाखान 11. अबदाखान पुत्र शरीफखान 12. अमीनखान पुत्र शरीफखान 13. रहीमखान पुत्र कादरखान 14. कम्भीरखान पुत्र हसणखान 15. हुसैनखान पुत्र अलूखान 16. गुलेखान पुत्र हुसैनखान 17. कादरखान पुत्र अलूखान 18. सरीफखान पुत्र हुसैनखान जाति मुसलमान, निवासी मेहरों की ढाणी तहसील शिव, जिला बाड़मेर		1. तहसीलदार शिव 2. सरपंच, ग्राम पंचायत राणेजी की बस्ती

उपस्थित :– 1. प्रार्थीगण अधिवक्ता :– श्री देवीलाल कुमावत।
2. विप्रार्थी संख्या 2 के अधिवक्ता :– नरेन्द्रसिंह सियाग।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शिव बाड़मेर

–:: आदेश ::–

दिनांक : 04.08.2023

प्रार्थीगण के आवेदन पत्र का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि ग्राम मेहरों की ढाणी, पटवार हल्का कोटड़ा, तहसील शिव के खसरा नम्बर 1202 रकबा 0.8256 हैक्टेयर की भूमि गैर मुमकिन आबादी आयी हुई है। खसरा नम्बर 1202 की तरमीम तत्कालीन राजस्व कर्मचारियों द्वारा बिना मौका मुआयना किये अपनी मर्जी से लट्‌ठा नक्शा में आबादी की बसावट को छोड़कर खाली पड़ी पास की भूमि पर कर दी गई। जबकि आबादी क्षेत्र में प्रार्थीगण के रहवासी कच्चे पक्के मकान बने हुए है तथा विद्युत कनेक्शन भी लिये हुए है। वर्तमान में प्रार्थीगण द्वारा जब हल्का पटवारी से जमाबंदी व लट्‌ठा ट्रेस की नकल प्राप्त की तब ज्ञात हुआ कि तत्कालीन राजस्व कर्मचारियों द्वारा बिना मौका मुआयना किये आबादी बसावट को छोड़कर दुसरी जगह पर तरमीम कर दी गई। इस प्रकार उक्त आबादी भूमि के संबंध मे मौके की स्थिति व वर्तमान तरमीम में भारी भिन्नता है। अतः प्रार्थीगण द्वारा विवादित भूमि के वर्तमान लट्‌ठा ट्रेस में की गई गलत तरमीम को निरस्त कर प्रार्थीगण व स्थानीय लोगों के मौके पर रहवास व कब्जा अनुसार तरमीम करवाने बाबत् उक्त आवेदन पेश किया गया है।

आवेदन पंजीयन किया जाकर विप्रार्थीगण को जरीये रजिस्ट्रर्ड डाक नोटिस भेजकर तलब किया गया। विप्रार्थी संख्या 1 तहसीलदार शिव से विवादित भूमि के संबंध में तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट तलब की जाकर प्राप्त की गई। विप्रार्थी संख्या 1 तहसीलदार शिव द्वारा द्वारा जवाब प्रस्तुत करते हुए उक्त आबादी भूमि की तरमीम मौके की स्थिति अनुसार

उपखण्ड अधिकारी
शिव (बाड़मेर)

Scanned with OKEN Scanner

किये जाने बाबत् सहमति प्रदान की गई है। तहसीलदार से प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार खसरा नम्बर 1202 रकबा 0.8256 हैक्टेयर राजस्व रेकर्ड में गैर मुमकिन आबादी दर्ज है। लेकिन मौके पर उक्त खसरा खाली एवं गैर आबाद है। मौके पर आबादी की बसावट दुसरे स्थान पर है। मौके पर उपस्थित ग्रांमीणो द्वारा बताया गया कि वर्तमान में मौके पर आबादी की बसावट संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'ब' प्रस्तावित तरमीम अनुसार तरमीम दुरस्त की जाती है तो ग्रामीणों को कोई आपत्ति नहीं है। विप्रार्थी संख्या 02 सरपंच, ग्राम पंचायत राणेजी की बस्ती द्वारा अपना जवाब पेश कर खसरा नम्बर 1202 की तरमीम को मौके पर आवादी की बसावट अनुसार दुरस्त किये जाने बाबत् सहमति प्रदान की है।

उक्त आवेदन के समर्थन में प्रार्थी संख्या 3, 16 व 17 द्वारा साक्ष्य स्वरूप बयान शपथ पत्र पेश किये गये। ग्राम पंचायत राणेजी की बस्ती द्वारा खसरा नम्बर 1202 के संबंध में पूर्व में कोई पट्टा जारी नहीं किये जाने बाबत् एवं बसावट अनुसार तरमीम दुरस्ती बाबत् अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करते हुए सहमति प्रदान की गई है। उक्त विवादित भूमि के संबंध में समाचार पत्र में नोटिस प्रकाशन करवाया जाकर सर्वसाधारण की आपत्ति आमंत्रित की गई, लेकिन निर्धारित तिथि तक कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई।

हमने आवेदन के तथ्यों पर उभयपक्ष को सुना तथा पत्रावली एवं पत्रावली पर तहसीलदार शिव द्वारा पेश मौका रिपोर्ट एवं संलग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तहसीलदार शिव की मौका रिपोर्ट व ग्राम पंचायत राणेजी की बस्ती की रिपोर्ट अनुसार प्राप्त मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'ब' प्रस्तावित तरमीम अनुसार तरमीम दुरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है। तहसीलदार शिव से जांच करवाई गई, जिसमें आबादी की मौके पर बसावट भिन्न स्थान पर दर्शित करते हुए तरमीम दुरस्ती किया जाना उचित बताया गया है।

लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाकर मौजा मेहरों की ढाणी, पटवार मण्डल कोटड़ा, तहसील शिव के खसरा नम्बर 1202 रकबा 0.8526 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन आबादी की वर्तमान लट्ठा ट्रेस नक्शा में विद्यमान तरमीम निरस्त करते हुए तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट के संलग्न प्रस्तावित नक्शा परिशिष्ट 'ब' अनुसार तरमीम दुरस्त किये जाने के आदेश किये जाते है। अतः तहसीलदार शिव को निर्देश दिये जाते है कि प्रकरण के संबंध में मौका रिपोर्ट के संलग्न प्रस्तावित नक्शा परिशिष्ट 'ब' अनुसार वर्तमान राजस्व रेकर्ड में तरमीम दुरस्त किया जाना सुनिश्चित करें। तहसीलदार मौका रिपोर्ट के संलग्न प्रस्तावित नक्शा परिशिष्ट 'ब' इस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शिव जिला-बाड़मेर सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
शिव (बाड़मेर)

आदेश आज दिनांक 04.08.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
शिव (बाड़मेर)

Scanned with OKEN Scanner